



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 2019/माघ 27, 1940

No. 108]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 2019/MAGHA 27, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 फरवरी, 2019

सं. 05/2019-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 124(अ).—जहां कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जोकि इसके बाद सीमा-शुल्क अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची में आने वाली सभी वस्तुएं जोकि इस्लामिक पाकिस्तान गणतंत्र में मूलतः उत्पादित हों या निर्यात की गयीं हों, पर लगाने वाले आयात शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण इस पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की जरूरत है।

अतः अब सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा निर्देश देती है कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:—

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, धारा XXI में, अध्याय 98 में, टैरिफ मद 9805 90 00 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और उससे प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9806 00 00	सभी वस्तुएं जोकि इस्लामिक पाकिस्तान गणतंत्र में मूलतः उत्पादित हों या निर्यात की गयीं हों	-	200 %	-"

[फा. सं. 354/40/2019-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2019

No. 05/2019-Customs

G.S.R. 124(E).—WHEREAS, the Central Government is satisfied that the import duty leviable on all goods originating in or exported from the Islamic Republic of Pakistan, falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the Customs Tariff Act, shall be amended in the following manner, namely:—

In the First Schedule to the Customs Tariff Act, in Section XXI, in Chapter 98, after tariff item 9805 90 00 and the entries relating thereto, the following tariff item and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9806 00 00	All goods originating in or exported from the Islamic Republic of Pakistan	-	200 %	-”.

[F. No. 354/40/2019-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.